

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
—:—

क0 43 / 60 / 18 / ब-1 / चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 12/01/2018

अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषय:—वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि में वेतन आहरण की व्यवस्था के वेतन भत्तों के मदों को सम्मिलित करने बाबत ।

समक्ष में यह विषय आया है कि सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण के परिणामस्वरूप वेतन, ग्रेड वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान राशियों में परिवर्तन की स्थिति बनी है। इसके परिणामस्वरूप कतिपय कार्यालयों में वेतन आहरण में कठिनाई आ रही है।

2/- उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण के लिये स्पष्ट किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक-1192/आर 421/13/ब-1/चार, भोपाल दिनांक 06.12.2016 की कण्डिका-3 अनुसार एक ही योजना शीर्ष के उसी उद्देश्य शीर्ष अंतर्गत विभिन्न विस्तृत शीर्ष में अधिकतम रुपये 5.00 करोड़ तक के पुनर्विनियोजन के अधिकार, बीसीओ को प्रत्यायोजित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 की शेष अवधि में इस अधिकार के उपयोग के लिए वर्णित परिपत्र की कण्डिका-2 G के प्रावधान शिथिल रहेंगे। अतः तदनुसार विभाग कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

(12/01/18)

(अजीत कुमार)

संचालक बजट एवं सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 12 / 01 / 2018

पृ0 क0 44 / 60 / 18 / ब-1 / चार /
प्रतिलिपि:—

आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल को भेज कर अनुरोध है कि तदानुसार विभागों से प्राप्त वेतन संबंधी पुनर्विनियोजन के प्रस्तावों पर तत्काल कार्यवाही करने का कष्ट करें।

(अवर सचिव)

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग